न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 24 / 2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 16.02.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 60

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.हरजी उर्फ हजारीराम पुत्र चेलाराम जाति सिरवी निवासी पिपलियाकलां		1. नारायणलाल पुत्र चेलाराम 2. दलाराम पुत्र चेलाराम जातिगण सीरवी निवासी पिपलियाकलां 3.तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण
2 श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 25.05.2022

वादी की ओर से वकील श्री चन्द्र दीप सिंह भाटी द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां, भू. अभि. नि. क्षैत्र पिपलियाकलां, तहसील रायपुर जिला पाली राज. में निम्न वर्णीत आराजीयात स्थित है।

(अ)—

खाता संख्या नया / पुराना	खसरा नम्बर	स्कबा (हैक्टेयर)	किस्म
109 / 40	44	0.1052	गै.मु. तेड
	45 / 11	2.0315	चाही सोयम
	45 / 13	3.8445	चाही सोयम
	45 / 15	0.6475	चाही सोयम
	46 / 2	0.6475	चाही सोयम
49 / 49	42 / 2	0.0405	चाही दोयम
	43 / 5	0.0405	गै.मु. खड्डा
	45	0.0567	चाही सोयम
	45 / 22	0.4856	चाही सोयम
	46 / 3	0.0567	चाही सोयम
	48 / 1	0.0728	चाही सोयम
	50 / 3	0.1619	चाही सोयम

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

(ब)

खाता संख्या नया / पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
130 / 115	736	3.8208	चाही प्रथम
	737	5.3742	चाही प्रथम
	738	5.3095	चाही प्रथम
	788	2.1125	चाही प्रथम
	789	0.1538	गै.मु. ओरन
	790	3.6745	चाही प्रथम
	791	0.2995	गै.मु. रास्ता
	793	1.1979	चाही प्रथम
	794	0.9308	चाही प्रथम
	795	0.1619	गै.मु. बेरा
	796	0.1781	चाही प्रथम

(स)–

खाता संख्या नया / पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
508 / 491	106	2.5171	चाही सोयम
	107	9.6963	चाही सोयम
	109	0.7203	चाही सोयम
	110	0.8337	चाही सोयम
	111	0.1781	गै.मु. बेरा
	112	0.5423	चाही सोयम
	113	7.9480	चाही सोयम

उपरोक्त खातेदारी जमीन की जमाबन्दी व ट्रेस नक्शा वाद के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उनके पूर्वज चेलारामजी से प्राप्त हुई है, चेलारामजी के पिछे चेलारामजी की पत्नी दाखुदेवी, पुत्री कमलादेवी, पुत्री भंवरीदेवी एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वैध वारिसान है, चेलारामजी के वारिसान के मध्य कोई बन्टवाडा नही हुआ है, स्वर्गीय चेलारामजी की सम्पति में प्रत्येक हिस्सा बराबर

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

बराबर आता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बदनियति पूर्वक वाद ग्रस्त भूमि का बन्टवाडा कराये बिना वादी की माता श्रीमती दाखुदेवी व बहिने श्रीमति कमलादेवी व भंवरीदेवी को बहला फुसलाकर कर अपने पक्ष में हकतर्कनामा दिनांक 20.12.2021 को करवा लिया, जिसकी जानकारी होने पर वादी ने उक्त हकतर्कनामे की नकल प्राप्त की, तथा तहसीलदारजी रायपुर को उक्त हकतर्कनामे के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्से बराबर बराबर रूप से इन्द्राज करने का निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियो से मिली भगती कर उनके हिस्से में ही भूमि का हस्तान्तरण बताकर वादी को उनके हक हिस्से में मिलने वाली भूमि से वंचित कर दिया, एवं हकतर्कनामे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वर्तमान खाता संख्या 130 में प्रतिवादी संख्या 1 का 5/72 वा हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 दो का 5/72वां हिस्सा अंकित किया, वादी का हिस्सा 1/36 अंकित किया। इसी प्रकार खाता संख्या 49 में 3/3328 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भरा गया, एवं प्रतिवादी संख्या 2 दो का 3/3328वां हिस्सा भरा गया, तथा वादी को कोई हिस्सा नही दिया गया, वर्तमान खाता संख्या 508 में प्रतिवादी संख्या 1 को 5/48वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 5/48वां हिस्सा भूमि दी, एवं खाता संख्या 109 में भी प्रतिवादी संख्या 1 को 5/48वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 5/48वां हिस्से का खाता दर्ज किया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय आन्ध्रप्रदेश के निर्णय दिनांक 10.06.2003 को अपील संख्या 11 और 63/1998 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हकतर्कनामा का फायदा सभी पारसन्री को मिलेगा, और ना कि जिसके हक में हकतर्क किया गया व्यक्ति विषेश को नही मिलेगा, अर्थात परिवार के किसी व्यक्ति विशेष को इसका फायदा नही मिलेगा, उक्त प्रोपट्री सभी में समान रूप से बाटी जायेगी, भूमि में वादी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। नामान्तकरण मे उक्त हिस्सा दर्ज नही किया, वादी को उनके हक हिस्से की जमीन से वंचित कर दिया, तब वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य पारिवारीक समझौता इकरारनामा परिवार के सामने दिनांक 17.01.2022 को प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में लिखा, जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को चेलारामजी की सम्पति में बराबर बराबर हिस्सा करते हुये रजिस्टर्ड रजिस्ट्री बक्शीश, हकतर्क करने हेतू पाबन्द रहेगे, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि बेरा रेन्दडी पर वादी का हक हिस्सा रहेगा, तथा बेरा केकिया की भूमि पर प्रतिवादीगण का हक हिस्सा रहेगा। एवं ढिगाना बेरे में कम पडने वाली भूमि अर्थात 01 बीघा से कम भूमि वादी को दी जायेगी। ऐसा लिखकर वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा किये, एवं कमलादेवी व अन्य गवाहान ने अपने हस्ताक्षर किये, जिसकी फोटो प्रति वाद के साथ प्रस्तुत की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जन्म से हिन्दु है, एवं संयुक्त परिवार की सम्पति में हित रखते है, वाद ग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पुष्तैनी भूमि है। पारिवारीक समझौते के अनुसार एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के आधार एवं विभिन्न न्यायिक दृश्टान्तो के अनुसार वाद ग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 1 एक में वर्णित खसरा नम्बर 44, -45/11,45/13,45/15, 46/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.2662 में वादी का 1/24वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/12वां हिस्सा आता है, एवं इसी भाग में खसरा नम्बर 42/2, 42/5, 45/22, 45, 46/3, 48/1, 50/3 में वादी का 1/1664वां हिस्सा आता है, व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/1664वां हिस्सा आता है, तथा प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/1664वां हिस्सा आता है, एवं भाग ब में वर्णित खसरे नम्बर 736, 737,738,788,789,790,791,792, 793,794,795,796 कुल खसरा 12 कुल रकबा 24.4998 हैक्टेयर में वादी का 1/18वां हिस्सा आता है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18वां हिस्सा आता एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18वां हिस्सा आता है। एवं भाग स में खसरा नम्बर 106, 107,109, 110,

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

111,112, 113, कुल खसरा 07 कुल रकबा 22.4368 में वादी का 1/12वां हिस्सा आता है, एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वा हिस्सा आता एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12वां हिस्सा आता है। जिसके अनुसार वादी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। हिस्से के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मौके पर काबिज होकर कब्जा काश्त करते आ रहे है, वादी वृद्ध किसान है, प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.02.2022 को धमकी दी कि वे अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर भूमि अन्य दिगर व्यक्तियो को बैचान कर वादी को उनके हक हिस्से की जमीन से बेदखल आदि कर देगे, यदि वादी के वाद पत्र मे वर्णित हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्सा कायम नही किया जाता है, एवं उसे खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता है, तो वादी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी, इसलिये वादी अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध ही प्रार्थना चाही है, इसलिये सहखातेदारो को वाद में पक्षकार नही बनाया गया, क्योकि सहखातेदारो के विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाहिये। प्रतिवादी संख्या 3 तीन लेण्ड होल्डर भूमिधारी होने से उन्हे वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 तीन राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा– 80 सिविल प्रकिया संहिता के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस देने व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर वादी को उनके हक हिस्से से वंचित कर देगे, तथा जमीन का बैचान बक्शीश कर देगे, जिससे वादी को अपने हितो व अधिकारो से वंचित होना पडेगा, जिससे वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत मे सम्भव नही होगी, इसलिये वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये बिना नोटिस दिये ही श्रीमान से अनुमति लेकर यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। बिनायदावा दिनांक 20.12.2021 को को हकतर्कनामा तकमील व तहरीर करने, दिनांक 17.01.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में पारिवारीक समझौता लिखने एवं दिनांक 10.02.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर जमीन का दिगर व्यक्तियो को बैचान बक्शीश करने की धमकिया देने पर दिन बेदिन ग्राम पिपलियाकलॉ, तहसील– रायपुर में पैदा होता है, जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेष है।

इस्तेदुआ वादी निम्न है :–

(अ)– कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह घोषित फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का वाद के पद संख्या 4 के अनुसार खसरा नम्बर 44, 45/11,45/13,45/15, 46/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.2662 में वादी का 1/24वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/12वां हिस्सा आता है, एवं इसी भाग में खसरा नम्बर 42/2, 42/5, 45/22, 45, 46/3, 48/1, 50/3 में वादी का 1/1664वां हिस्सा आता है, व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/1664वां हिस्सा आता है, तथा प्रतिवाद्री संख्या 2 का भी 1/1664वां हिस्सा आता है, एवं भाग ब में वर्णित खसरे नम्बर 736, 737,738,788,789,790,791,792,793,794,795,796 कुल खसरा 12 कुल रकबा 24.4998 हैक्टेयर में वादी का 1/18वां हिस्सा आता है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18वां हिस्सा आता एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18वां हिस्सा आता है।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

एवं भाग स मे खसरा नम्बर 106, 107,109, 110, 111,112, 113, कुल खसरा 07 कुल रकबा 22.4358 मे वादी का 1/12वां हिस्सा आता है, एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्सा आता एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12वा हिस्सा आता है। उक्त अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित फरमाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमावे।

(ब)– कि डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावे कि वाद में वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन में वादी के हक हिस्से की जमीन में वादी के उपयोग उपभोग, काश्त व काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, ना ही वादी को कब्जे से बेदखल आदि करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रेकर्ड में अपने गलत नाम का नाजायज फायदा उठाकर जमीन का बैचान बक्शीश इत्यादि करे, इसके लिये प्रतिवादीगण व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर, चाकर, हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता श्री भागीरथ तेली ने वकालतनामा पेश किया। जो शा.मि. हों। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर अपना जबावदावा प्रस्तुत किया, जो रेकर्ड पर लिया गया। उक्त जबावदावा में उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व02 की उनके पूर्वज चेलारामजी से प्राप्त हुई, चेलारामजी के पीछे चेलारामजी की पत्नि दाखुदेवी, पुत्री कमलादेवी, भंवरीदेवी एवं वादी, प्रतिवादीगण संख्या 01 व02 वैध वारिसान हैं। चेलारामजी के वारिसान के मध्य कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 ने माता दाखुदेवी व बहिन कमलादेवी व भंवरीदेवी को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में हकतर्कनामा नहीं करवाया हैं, वादी द्वारा गलत रूप से भूमि के बैचान करने पर वादी एंव प्रतिवादीगण की माता दाखुदेवी व बहिन कमलादेवी व भंवरीदेवी ने प्रेमपूर्वक अपीन स्वयं की इच्छा से प्रतिवादीगण के पक्ष में हकतर्कनामा दिनांक 24.01.2021 को किया हैं, जो बिल्कुल विधिवत् हैं। बेरा केकिया की भूमि व बेरा ढिगाणा की भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में रखी गई एवं वादी को बेरा रेन्दडी की भूमि परिवार के अन्य सदस्यगण हनुमान पुत्र पुरखा के साथ उसको सुपुर्द की गई। वादी ने खसरा नम्बर 651 की भी भूमि जो सामलाती हैं, जिसका रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा था, जिसकी सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि हरजी उर्फ हजारी ने प्राप्त की, पश्चात् वादी ने बिना बंटवाडे करवाये बिना कब्जा काश्त के बेरा ढिगाणा की भूमि में से 37 बिस्वा भूमि का बैचान राजूभाई गुर्जर निवासी सिंगपुरा व भगवानलाल जाट निवासी झूठा को कर दी, तीनो बेरा पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त भूमि लगभग 70 बीघा आती हैं, प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में लगभग 23 बीघा 11 बिस्वा भूमि आती हैं एवं प्रतिवादी संख्या 02 के भी 23 बीघा 11 बिस्वा भूमि आती हैं। वादी के हक हिस्से की भूमि 18 बीघा भूमि आती हैं, उक्त भूमियों में दाखुदेवी, कमलादेवी व भंवरीदेवी का हिस्सा भी संयुक्त रूप से आता था, चेलाराम की सम्पति का 1/2 वां हिस्सा कमलादेवी, दाखुदेवी व भंवरीदेवी का आता हैं तथा 1/2 वां वादी हरजी उर्फ हजारी एवं प्रतिवादी संख्या 01 02 के सयुक्त रूप से आती हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में कमलादेवी, दाखुदेवी व भंवरीदेवी द्वारा किये गये हकतर्कनामें के पश्चात चेलाराम की सम्पति में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01व 02 का 5/6 वां हिस्सा आता है, जो रिकोर्ड में दर्ज हैं। हकतर्कनामा दिनांक 20.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में दाखुदेवी व बहिने कमलादेवी व भंवरीदेवी द्वारा विधिवत् रूप से करवाकर केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को ही अपना हिस्सा हकतर्क किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

वादी के पक्ष में अपना हिस्सा हकतर्क नहीं किया हैं। हकतर्कनामें के अनुसार वादग्रस्त भूमि में चेलाराम के हिस्से की भूमि में 5/6 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हिस्से में आती हैं एवं 1/6 वां हिस्सा वादी के हिस्से में आती हैं।

प्रतिवादी अधिवक्ता एवं वादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति से उक्त वादपत्र पर बहस करना चाहते हैं। बहस उभयपक्ष समायत की गई। बहस में प्रतिवादी अधिवक्ता ने हकतर्कनामा पर अपनी सहमति प्रदान की। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता ने अपने हिस्से हकतर्कनामा में अपने हिस्से में बराबर हिस्से करने पर पूर्ण सहमति प्रदान की। वादी अधिवक्ता ने भी अपने हिस्से की बेची गई भूमि को अपने हिस्से कम करने पर भी अपनी सहमति प्रदान की। बहसं के दौरान वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त विवादित भूमि के खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 44, 45/11,45/13, 45/15, 46/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.2762 में वादी का 1/24वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/12वां हिस्सा तथा खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 42/2, 43/5, 45/22, 45, 46/3, 48/1, 50/3 में वादी का 3/8320 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 6/8320 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भी 6/8320 वां हिस्सा तथा खाता संख्या 115 के खसरा नम्बर 736, 737,738,788,789,790,791,792,793,794,795,796 कुल खसरा 12 कुल रकबा 24.4998 हैक्टेयर में वादी का 1/18वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18वां हिस्सा तथा खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 106, 107,109, 110, 111,112, 113, कुल खसरा 07 कुल रकबा 22.4358 में वादी का 1/12वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्साएवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12वां बनता है। उक्त अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता खातेदार काश्तकार घोषित करने में अपनी सहमति प्रदान की।

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां के खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 44, 45/11,45/13, 45/15, 46/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.2762 में वादी का 1/24वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/12वां हिस्सा तथा खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 42/2, 43/5, 45/22, 45, 46/3, 48/1, 50/3 में वादी का 3/8320 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 6/8320 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भी 6/8320 वां हिस्सा तथा खाता संख्या 115 के खसरा नम्बर 736, 737,738,788,789,790,791,792,793,794,795,796 कुल खसरा 12 कुल रकबा 24.4998 हैक्टेयर में वादी का 1/18वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18वां हिस्सा तथा खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 106, 107,109, 110, 111,112, 113, कुल खसरा 07 कुल रकबा 22.4358 में वादी का 1/12वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्साएवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12वां खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां के खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 44, 45/11,45/13, 45/15, 46/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.2762 में वादी का 1/24वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/12वां हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

तथा खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 42/2, 43/5, 45/22, 45, 46/3, 48/1, 50/3 में वादी का 3/8320 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 6/8320 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भी 6/8320 वां हिस्सा तथा खाता संख्या 115 के खसरा नम्बर 736, 737,738,788,789,790,791,792,793,794,795,796 कुल खसरा 12 कुल रकबा 24.4998 हैक्टेयर में वादी का 1/18वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18वां हिस्सा तथा खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 106, 107,109, 110, 111,112, 113, कुल खसरा 07 कुल रकबा 22.4358 में वादी का 1/12वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12वां खातेदार काश्तकार घोषित **किया जाता है।** शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" -1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :- श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.हरजी उर्फ हजारीराम पुत्र चेलाराम जाति सिरवी निवासी पिपलियाकलां		1. नारायणलाल पुत्र चेलाराम 2. दलाराम पुत्र चेलाराम जातिगण सीरवी निवासी पिपलियाकलां 3.तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 24/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री भागीरथ तेली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां के खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 44, 45/11,45/13, 45/15, 46/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.2762 में वादी का 1/24वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/12वां हिस्सा तथा खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 42/2, 43/5, 45/22, 45, 46/3, 48/1, 50/3 में वादी का 3/8320 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 6/8320 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भी 6/8320 वां हिस्सा तथा खाता संख्या 115 के खसरा नम्बर 736, 737,738,788,789,790,791,792,793,794,795,796 कुल खसरा 12 कुल रकबा 24.4998 हैक्टेयर में वादी का 1/18वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18वां हिस्सा तथा खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 106, 107,109, 110, 111,112, 113, कुल खसरा 07 कुल रकबा 22.4358 में वादी का 1/12वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12वां हिस्साएवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12वां खातेदार काश्तकार घोषित दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.05.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	04	00	स्टाम्प वकालतनामा –	27	00
स्टाम्प वकालतनामा –	27	00	स्टाम्प हाजरी –	00	00
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर –		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक –	00	00
मुतफरिक –	10	00	मीजान		
मीजान	41	00		27	00

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।